

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 102 /2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

का.आ. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 डक की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा-

- (i) आयुक्त (कस्टम्स अथॉरिटी फार अड्वान्स रुलिंग), दिल्ली; और
- (ii) आयुक्त (कस्टम्स अथॉरिटी फार अड्वान्स रुलिंग), मुंबई,

को क्रमशः दिल्ली और मुंबई में कस्टम्स अथॉरिटी फार अड्वान्स रुलिंग के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

2. यह अधिसूचना अधिसूचित की जाने वाली तिथि से लागू होगी।

[फा. स. 450/110/2020- सीमाशुल्क IV]

आ. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)